FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल ...... मुकाम ......

शंकरलाल ...... बनाम पोकरराम वगैरह

किस्म मुकदमा राज वाद ...... नं. 58/19 ...... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/6/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
18/6/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा व इकबाली जवाब मय शपथपत्र पेश किया। तहसीलदार का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से 23 को कोई वास्ता नहीं होने के कारण तर्क किया। वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में PW.1 जगदीश पुत्र पोकरराम व PW.2 सोहन मिर्धा पुत्र भीयाराम के शपथ-पत्र पेश	जगदीश अंगूठा पोकरराम सोहन मिर्धा प्र.सं. 2 से 23 को तर्क करता हूं (हस्ताक्षर)

किये तथा प्रतिवादी सं. 1 को साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र पेश किया गया। पत्रावली बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 20/8/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक ...

Scanned by CamScanner

20/8/19

पत्रावली [illegible] पेश हुई। पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 3/10/19 को पेश हों।

03/10/19 — वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों के व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आज्ञार्थ दिनांक 22/10/19 को पेश हों।

22/10/19 — वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। अन्तिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर में कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 22.10.2019

सहायक कल[illegible] (SDO)
बावल

राजस्थान–सरकार

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 58 / 2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. शंकरलाल पुत्र पोकरराम
2. सताराम पुत्र पोकरराम
3. जगदीश पुत्र पोकरराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान–जोगासर, बायतु
भोपजी तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

प्रतिवादीगण

1. पोकरराम पुत्र मानाराम
2. चेनाराम पुत्र मूलाराम फोत के कायम मुकाम
   2/1. रूपाराम पुत्र चेनाराम
   2/2. जेठाराम पुत्र चेनाराम
   2/3. भगाराम पुत्र चेनाराम
   2/4. खंगारसिंह पुत्र चेनाराम
   2/5. अचलाराम पुत्र चेनाराम
   2/6. किशोरसिंह पुत्र चेनाराम
3. धन्नाराम पुत्र हीराराम
4. सोनाराम पुत्र हीराराम
5. पूरों पत्नी हीराराम
6. पदमाराम पुत्र रामाराम
7. अचलाराम पुत्र रामाराम
8. मलाराम पुत्र भीखाराम
9. गोमाराम पुत्र भीखाराम
10. पूराराम पुत्र भीखाराम
11. तुलसाराम पुत्र भीखाराम
12. घमण्डाराम पुत्र भीखाराम
13. बांकाराम पुत्र कानाराम
14. वीरमाराम पुत्र लच्छाराम
15. किशनराम पुत्र लच्छाराम
16. किस्तुरीदेवी पत्नी लच्छाराम
17. नेनाराम पुत्र कानाराम
18. खेमाराम पुत्र कानाराम
19. समरताराम पुत्र कानाराम
20. गोरधनराम पुत्र कानाराम
21. जोगाराम पुत्र कानाराम
    जातियान्–जाट,
    निवासीयान–जोगासर, बायतु भोपजी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
22. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा बायतु
23. शाखा प्रबन्धक दी बाड़मेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा बायतु
24. तहसीलदार, बायतु

22.10.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

दिनांक :—22/10/2019

उपस्थित :— 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादी
2. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1

—: निर्णय :—

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 643, 649, 821/649 रकबा क्रमशः 00.19, 769.14, 17.00 बीघा व मौजा बेरड़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 847/613 रकबा 12.10 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी पूर्वज मानाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि मौजा जोगासर व बेरड़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी में प्रत्येक वादीगण को 1/24—1/24 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के वकील द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वांद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि मौजा जोगासर व बेरड़ों की ढाणी में प्रत्येक वादीगण को 1/24—1/24 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/24 हिस्सा घोषित करने व सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान दी है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा मानाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त भूमि मौजा जोगासर व बेरड़ों की ढाणी में प्रत्येक वादीगण को 1/24–1/24 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 643, 649, 821/649 रकबा क्रमशः 00.19, 769.14, 17.00 बीघा व मौजा बेरड़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 847/613 रकबा 12.10 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/24–1/24 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.10.2019

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

अनवान्

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. शंकरलाल पुत्र पोकरराम वगैरा

1. पोकरराम पुत्र मानाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–58/19. निर्णय दिनांक :– 22.10.2019

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.10.2019 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 643, 649, 821/649 रकबा क्रमशः 00.19, 769.14, 17.00 बीघा व मौजा बेरड़ों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 847/613 रकबा 12.10 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/24–1/24 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

विवेक व्यास 22.10.2019

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण

1. शंकरलाल पुत्र पोकरराम
2. सताराम पुत्र पोकरराम
3. जगदीश पुत्र पोकरराम
जातियान्–जाट,
निवासीयान–जोगासर, बायतु
भोपजी तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

बनाम

1. पोकरराम पुत्र मानाराम
2. चेनाराम पुत्र मूलाराम फोत के कायम मुकाम
   2/1. रूपाराम पुत्र चेनाराम
   2/2. जेठाराम पुत्र चेनाराम
   2/3. भगाराम पुत्र चेनाराम
   2/4. खंगारसिंह पुत्र चेनाराम
   2/5. अचलाराम पुत्र चेनाराम
   2/6. किशोरसिंह पुत्र चेनाराम
3. धन्नाराम पुत्र हीराराम
4. सोनाराम पुत्र हीराराम
5. पूरों पत्नी हीराराम
6. पदमाराम पुत्र रामाराम
7. अचलाराम पुत्र रामाराम
8. मलाराम पुत्र भीखाराम
9. गोमाराम पुत्र भीखाराम
10. पूराराम पुत्र भीखाराम
11. तुलसाराम पुत्र भीखाराम
12. घमण्डाराम पुत्र भीखाराम
13. बांकाराम पुत्र कानाराम
14. वीरमाराम पुत्र लच्छाराम
15. किशनराम पुत्र लच्छाराम
16. किस्तुरीदेवी पत्नी लच्छाराम
17. नेनाराम पुत्र कानाराम
18. खेमाराम पुत्र कानाराम
19. समरताराम पुत्र कानाराम
20. गोरधनराम पुत्र कानाराम
21. जोगाराम पुत्र कानाराम
    जातियान्–जाट,
    निवासीयान–जोगासर, बायतु
    भोपजी तहसील–बायतु,
    जिला–बाड़मेर
22. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा बायतु
23. शाखा प्रबन्धक दी बाड़मेर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा बायतु
24. तहसीलदार, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

22.10.2016

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.11 15:20:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: